**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18609**

मेसर्स इंदुवर्ण एल. पी. जी. बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय पूजा गृह, गायत्री नगर, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार 845401 में है, अपने प्रबंध निदेशक, ज्ञानेंद्र झा (पुरुष) के माध्यम से, जिनकी आयु लगभग 53 वर्ष है, पुत्र डॉ. (प्रो.) बिनोदानंद झा पूजा गृह, गायत्री नगर, मोतिहारी, थाना- शहर मोतिहारी, जिला- पूर्वी चंपारण, बिहार, 845401 में रहते हैं।

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्व विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से भारत संघ

2. राजस्व विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।

3. बिहार राज्य आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

4. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।

5. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत प्रामंडल, मुजफ्फरपुर, बिहार।

6. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, मोतिहारी अंचल, मोतिहारी, बिहार।

7. सहायक आयुक्त, राज्य कर मोतिहारी अंचल, मोतिहारी, बिहार।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

## हेडनोट

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 - धारा 54(3)(ii)- केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017-नियम 89(5)- व्युत्क्रमित शुल्क संरचना के अंतर्गत अंतर कर की वापसी के लिये याचिकाकर्ता ने दावा किया- याचिकाकर्ता थोक में एल पी जी खरीदता है तथा खरीदे गये थोक एल.पी.जी. को सिलेंडरों में बोतलबंद कर ग्राहकों को बेचता है। नियम के अनुसार, वाणिजियक उपभोक्ताओं से उसी दर पर कर एकत्र किया जाता है, जिस दर पर थोक में खरीदा गया था, लेकिन घरेलु उपभोक्ताओं से कम दर का कर लिया जाता है। इसी कर के अंतर के वापसी के लिये याचिकाकर्ता ने दावा किया-धारा 54 के अनुसार इस तरह का दावा 2 साल के अंदर करना चाहिये्र लेकिन याचिकाकर्ता ने दावा 12.04.2023 को दाखिल किया जिस पर प्रतिवादी ने सीमा अवधि समाप्त होने का आधार लिया- माननीय खंडपीठ के अनुसार, धारा 54 के दूसरे स्पष्टीकरण के खंड(2) में यह प्रावधान है कि जब कर अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश के परिणामस्वरुप वापसी योग्य हो जाता है, तो ऐसे निर्णय बैगरह के संचार की तारीख प्रासंगिक तिथि होती है-चूँकि अपीलीय प्राधिकरण का निर्णय 15.8.2022 को प्रात् श्री, इसलिये 15.8.2022 को प्रासंगिक तिथि माना जायेगा और इस तरह याचिकाकर्ता द्वारा कर वापसी का आवेदन बिल्कुल सही है। याचिकाकर्ता द्वारा दायर भौतिक आवेदन धारा 54 के दूसरे स्पष्टीकरण के खंड 2 के तहत विचार किया जायेगा। रिट याचिका को स्वीकृत किया गया-याचिकाकर्ता को 2 माह के अंदर अंतर कर वापस कर किये जाने का आदेश दिया गया है।

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18609**

मेसर्स इंदुवर्ण एल. पी. जी. बॉटलिंग प्राइवेट लिमिटेड जिसका कार्यालय पूजा गृह, गायत्री नगर, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार 845401 में है, अपने प्रबंध निदेशक, ज्ञानेंद्र झा (पुरुष) के माध्यम से, जिनकी आयु लगभग 53 वर्ष है, पुत्र डॉ. (प्रो.) बिनोदानंद झा पूजा गृह, गायत्री नगर, मोतिहारी, थाना-शहर मोतिहारी, जिला-पूर्वी चंपारण, बिहार, 845401 में रहते हैं।

..... याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्व विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001 के माध्यम से भारत संघ

2. राजस्व विभाग के सचिव, वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001।

3. बिहार राज्य आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।

4. आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना।

5. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील), तिरहुत प्रामंडल, मुजफ्फरपुर, बिहार।

6. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, मोतिहारी अंचल, मोतिहारी, बिहार।

7. सहायक आयुक्त, राज्य कर मोतिहारी अंचल, मोतिहारी, बिहार।

..... उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

**उपस्थिति:**

याचिकाकर्ताओं के लिए:- श्री श्रीराम कृष्ण, अधिवक्ता

श्री आकाश चतुर्वेदी, अधिवक्ता

श्री विजय कुमार सिंह, अधिवक्ता

यू.ओ.आई. के लिएः डॉ. के. एन. सिंह, राज्य के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

श्री अंशुमन सिंह, वरिष्ठ एससी, सी.जी.एस.टी. और सी.एक्स

राज्य के लिएः श्री विकास कुमार, एस सी-11

श्री राघवनंद, जी ए-11

श्री प्रतीक कुमार, अधिवक्ता

**कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश**

**एवं**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार**

**मौखिक निर्णय**

**(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)**

**तिथि: 29-02-2024**

याचिकाकर्ता इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा किए गए व्यवसाय पर लागू 'व्युत्क्रम शुल्क संरचना' पर याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किए गए कर की वापसी का दावा

कर रहा है; जो कि याचिकाकर्ता द्वारा एल पी जी की बॉटलिंग के चलाए गए व्यवसाय पर लागू होता है।

2. याचिकाकर्ता लागू कर का भुगतान करने के बाद थोक में एलपीजी खरीदता है। खरीदे गए थोक एलपीजी को सिलेंडरों में बोतलबंद किया जाता है और ग्राहकों को बेचा जाता है, वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं से कर एकत्र किया जाता है; एलपीजी की खरीद की समान दर पर और घरेलू उपयोगकर्ताओं को, कम दर पर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 54 (3) (ii) (संक्षिपत्ता के लिए'सी. जी. एस. टी. अधिनियम' की) के अनुसार केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 89 (5) के साथ पढ़ा जाता है ('सी. जी. एस. टी. नियम' की संक्षिप्तता के लिए) ऐसे अंतर कर की वापसी प्रदान की जाती है जिसे 'व्युत्क्रमित शुल्क संरचना' शब्द द्वारा परिभाषित किया जाता है।

3. धारा 54 में 'कर की वापसी' का नाममात्र शीर्षक है जिसके तहत खरीद पर भुगतान किए गए उच्च कर की वापसी, बाद की बिक्री पर लगाए गए कर की तुलना में, उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की जाती है। यह भी एक अधिदेश है कि इस तरह के धनवापसी आवेदन को संबंधित तिथि से दो साल की समाप्ति से पहले, ऐसे प्रपत्र और तरीके से दाखिल किया जाएगा जो निर्धारित किया जाए। याचिकाकर्ता ने कानून के अनुसार कर का भुगतान किया था और समय पर अपने सभी विवरणी दाखिल किए थे।

4. वर्तमान मामले में अवधि वित्तीय वर्ष 2018-19 से संबंधित है, विशेष रूप से अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 के बीच की अवधि से। नियम 89(1) के साथ पठित जी एस टी अधिनियम की धारा 54 के संदर्भ में 12.04.2023 को आर एफ डी-001 प्रारुप में धनवापसी के लिए सीमा अवधि के काफी पश्वात् याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दाखिल किया एवं आई जी एस टी के तहत भुगतान किए गए रुपये 6,12,487/- के धनवापसी का दावा किया।

5. 6 वें प्रत्यर्थी, जो याचिकाकर्ता के मूल्यांकन अधिकारी हैं, ने अनुलग्नक-पी/4 जारी किया, जिसमें कहा गया है कि आवेदन उस सीमा अवधि से परे दायर किया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक-पी/5 द्वारा जवाब दिया है। दायर किए गए जवाब में याचिकाकर्ता का यह तर्क था कि चूंकि याचिकाकर्ता ने रिश्वत के लिए निर्धारण अधिकारी के दावे के आगे घुटने नहीं टेके थे, इसलिए उसने गलत तरीके से मांग की थी, जो वर्षों 2018-2019 और 2019-2020 के बकाया से कहीं अधिक थी। इस प्रकार निर्धारित और मांगी गई राशि को याचिकाकर्ता के निवेश जमा के जमा खाता से भी शुरु किया गया था। मांग आदेशों की प्रति और की गई वसूली को अनुलग्नक-पी/6 श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक अपील दायर की गई थी जिसमें अनुलग्नक-पी/7 श्रृंखला द्वारा अपीलीय प्राधिकरण ने अपील की अनुमति दी और बरामद की गई राशि को 24.08.2022 को जमा खाते में वापस जमा कर दिया गया था।

6. याचिकाकर्ता द्वारा यह दावा किया जाता है कि 20.02.2022 को पारित अपील में आदेश 15.08.2022 को छह महीने के बाद प्राप्त हुआ था और सीमा उक्त तिथि से शुरू हुई थी। यह भी तर्क दिया जाता है कि धनवापसी दाखिल करने की नियत तिथि, वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए अप्रत्यक्ष करों एवं सीमा-शुलक के केंद्रीय बोर्ड के अधिसूचना सं.-13/2020 - केंद्रीय कर, दिनांकित 05.07.2022 के माध्यम द्वारा 31.03.2023 तक विस्तारित किया गया है।

7. जहाँ तक उप-धारा (3) के तहत अप्रयुक्त निवेश कर क्रेडिट है, वह प्रासंगिक तिथि जिसमें से दो साल की सीमा शुरू होती है, उस वित्तीय वर्ष का अंत है जिसमें स्पष्टीकरण (2) (ए) के अनुसार धनवापसी के लिए ऐसा दावा किया जाता है। इसलिए, मूल्यांकन वर्ष 2018-19 के लिए, प्रासंगिक तिथि 31.03.2019 होगी और उस संदर्भ में धनवापसी आवेदन दाखिल करने की सीमा की समाप्ति 31.03.2021 को आती है। वर्तमान मामले में,

धनवापसी के लिए आवेदन याचिकाकर्ता द्वारा 12.04.2023 को किया गया था। यहां तक कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए धनवापसी का दावा केवल 31.03.2023 तक बढ़ाया गया था।

8. हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि रिश्वत की मांग के आरोप को गिने बिना भी, वित्तीय वर्षों 2018-19 और 2019-20 के लिए एक मूल्यांकन किया गया था, जिसके खिलाफ 29.01.2021 को एक मांग आदेश उठाया गया था। अनुलग्नक-पी/6 श्रृंखला के साथ प्रस्तुत खाते की प्रति से यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता के क्रेडिट खाते से 20.03.2021 को वसूली की गई है। यह राशि निर्धारित की गई राशि, 'व्युत्क्रमित शुल्क संरचना' के तहत राशि थी, जिसे आम तौर पर निर्धारिती/याचिकाकर्ता को वापस किया जाना चाहिए। बरामद की गई राशि केवल 24.08.2022 को वापस जमा की गई थी।

9. अब तक, अनुलग्नक-पी/3 के रूप में प्रस्तुत धनवापसी आवेदन के अलावा, याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक-पी/13 के रूप में प्रस्तुत धनवापसी के लिए एक और आवेदन दायर किया है। वर्तमान आवेदन वर्ष 2018-19 और 2019-के लिए उठाई गई मांगों के रूप में क्रेडिट खाता बही से निर्धारित राशि की वापसी के लिए दायर किया जाता है। .

10. हमें उपरोक्त मामले में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट तथ्यों पर उचित रूप से विचार करना होगा। वित्तीय वर्षों 2018-19 के लिए याचिकाकर्ता के खाते में एक क्रेडिट उपलब्ध था जिसे वापस किया जाना था। हालाँकि, धनवापसी आवेदन दाखिल करने की सीमा अवधि समाप्त होने से पहले 20.03.2021 को, राशि को वित्तीय वर्षों 2018-19 और 2019-20 के लिए की गई मांग के मुकाबले 20.03.2021 को निर्धारित किया गया था। इसलिए, धनवापसी के उद्देश्य से व्युत्क्रमित शुल्क के रूप में याचिकाकर्ता के क्रेडिट खाते में कोई राशि शेष नहीं थी।

11. जब क्रेडिट खाता-बही में बची हुई राशि को मांग के विरुद्ध जमा कर दिया जाता है, तो क्रेडिट खाता-बही में बची उक्त राशि का स्वरूप बदल जाता है और विभाग द्वारा वसूल किए गए कर की स्थिति प्राप्त हो जाती है। अपील, मूल्यांकण अधिकारी द्वारा उठाई गई उपरोक्त मांग से दायर की गई थी, जिसे अनुमति दी गई थी, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर 20.02.2022 को संकेत दिया है। कहा जाता है कि अपीलीय आदेश केवल 15.08.2022 पर प्राप्त हुआ था।

12. याचिकाकर्ता ने अब अपील की अनुमति पर क्रेडिट खाता बही में जमा की गई राशि की वापसी के लिए एक आवेदन दायर किया है। इसलिए, याचिकाकर्ता के क्रेडिट खाते में जो बचा रहता है, वह वसूल की गई कर की राशि जो अपीलीय आदेश के अनुसार धनवापसी के लिए सक्षम है। धारा 54 के दूसरे स्पष्टीकरण के खंड (2) में यह प्रावधान है कि जब कर अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश के परिणामस्वरूप वापसी योग्य हो जाता है, तो ऐसे निर्णय, डिक्री, आदेश या निर्देश के संचार की तारीख प्रासंगिक तिथि होती है। इसलिए, स्पष्टीकरण के अनुसार प्रासंगिक तिथि 15.08.2022 है जिस तारीख को आदेश सूचित किया गया था।

13. हम खाते में वापस जमा किए गए कर की वापसी के लिए एक आवेदन को पूरी तरह से क्रम में पाते हैं और याचिकाकर्ता के क्रेडिट खाते से निर्धारित राशि को कर के रूप में वापस करने का निर्देश देते हैं, जो निर्धारण वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए की गई बढ़ी हुई मांग पर देय है, जो अब अपीलीय आदेश के अनुसार वापस किया जाता है।

14. हम देखते हैं कि याचिकाकर्ता का ऑनलाइन आवेदन संभवतः तकनीकी गड़बड़ी के कारण अपलोड नहीं किया गया था। हालाँकि, सरकारी अधिवक्ता बताते हैं कि अपलोड करना संभव नहीं था क्योंकि 'व्युत्क्रमित शुल्क संरचना धनवापसी केवल दो साल के लिए संभव है। हम दोहराते हैं कि याचिकाकर्ता के खाते में अब बची हुई राशि अपीलीय आदेश पर

वापस की गई कर राशि है। यह 'व्युत्क्रमित शुल्क संरचना' के तहत देय राशि का स्वरूप खो दिया, जब इसे पुनर्प्राप्त किया गया और मूल्यांकन में उठाई गई मांग पर बंद कर दिया जाता है। इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा दायर भौतिक आवेदन पर धारा 54 के दूसरे स्पष्टीकरण के खंड (2) के तहत विचार किया जाएगा।

15. रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त निर्देश के साथ दी गई है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख से दो महीने के भीतर किसी भी दर पर धनवापसी प्रभावी होगी।

**(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)**

**(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)**

पी.के.पी/-

खण्डन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।